Dated: 28/09/2019

Silvassa Municipal Council

जाहेर सुचना

दादरा एवं नगर हवेली "नगर पालिका क्षेत्र में भूमि और भवनों पर संयुक्त कर" नियम ३,४,७ और ८ के अनुसार सिलवासा नगर परिषद निर्देशक (नगर पालिका प्रशासन) के अनुमोदन से संपत्ति कर में निम्नानुसार परिवर्तन किए है।

- १. संपत्ति कर में कटौती : प्रकल्पित वार्षिक किराए में १५% की कटौती और संपत्ति कर की दरों में १५% की कटौती की गई है
- २. २५ वर्ग मीटर से कम या बराबर क्षेत्र के लिए संपत्ति कर : संपत्ति कर के रूप में जिसका निर्मित क्षेत्र २५ वर्ग मीटर से कम या उसके बराबर है उनका २५०/- रुपए प्रति वर्ष गठित किया गया है ।
- 3. संपत्ति कर से छूट : धार्मिक उद्देश्य के साथ-साथ शहीद सैनिकों और उनकी विधवा / विधुरों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी इमारतों और जमीनों को संपत्ति कर से मुक्त किया गया है और सभी सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों को आवंटित घरों के साथ-साथ सभी पारंपरिक झोपड़ियों के लिए संपत्ति कर के रूप में रुपए २५०/ - प्रति वर्ष गठित किए गए है।
- ४. विभिन्न स्थानों के वर्गीकरण में परिवर्तन : वर्ग १ और वर्ग २ को वर्ग ३ में में वर्गीकृत किया है | अब से संपत्ति कर की गणना वर्ग ३ और वर्ग ४ के हिसाब से कि जाएगी | सभी जन साधारण को सूचित किया जाता है कि, इन सभी बदलाव के अंतर्गत संपत्ति कर की गणना निम्नानुसार की जाएगी|

निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष कर क्षेत्र			
स्थान वर्ग	आवासीय संपत्ति कर	व्यावसायिक संपत्ति कर	
3	₹ २. २८	₹ ५. ३७	
X	₹ १. १४	₹ २. ८६	

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि सिलवासा नगर पालिका क्षेत्र की सभी सम्पत्तियों की अंतिम मुल्यांकन सूचि तैयार हो चुकी है व उसका अनुमोदन सिलवासा नगर पालिका स्टैंडिंग सिमित से भी प्राप्त हो चूका है। इस सूचि का अवलोकन सिलवासा नगर पालिका कार्यालय में किया जा सकता है तथा ऑनलाइन www.smcdnh.nic.in भी देखा जा सकता है। इस सूचि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु नगर पालिका कार्यालय में दादरा नगर हवेली नगर पालिका अधिनियम, 2004 की धारा 119 के अंतर्गत आवेदन करें।

कार्यालय का पता: सिलवासा नगर पालिका, उधोग भवन के सामने, सचिवालय रोड, अमली, सिलवासा। 396230

Public Notice

In accordance with the Dadra and Nagar Haveli "Imposing of a Consolidated Tax on land and buildings in Municipal Area Rules, 2018, Rule 3,4,7 and 8, Silvassa Municipal Council has incorporated the following changes in the property tax structure with the approval of Director (Municipal Administration).

- 1. Property Tax Reduction: The presumed annual rent is reduced by 15% and the property tax rates are reduced by 15%.
- 2. Property tax for an area less than or equal to 25 square meters: Rs. 250/ per annum has been fixed as property tax per annum for properties whose built up area is less than or equal to 25 square meters.
- 3. Exemption from property tax: All buildings and lands used for religious purpose as well as for the martyred soldiers and their widow/widower are exempted from property tax and houses allotted to beneficiaries for all schemes as well as property of all traditional huts is fixed Rs. 250 / per annum.
- 4. Changes in classification of location class: All the location class have been classified by changing class 1 and class 2 into class 3. Property Tax will be calculated on the basis of Location 3 and 4.

The New Property Tax Rate is as under:

Tax Rate per square feet per annum on built up area			
location class	Residential Property Tax	Commercial Property Tax	
3	Rs. 2.28	Rs. 5.37	
4	Rs. 1.14	Rs. 2.86	

General public is hereby informed that the final assessment list of all properties in Silvassa Municipal Council has been approved by the Standing Committee of the Council and has been published. Same may be perused at Office of Silvassa Municipal Council or Online at www.smcdnh.nic.in For any further amendments in the said list, please apply under Section 119 of Dadra and Nagar Haveli Municipal Council Regulation,2004 at Municipal Council's Office

Office's Address: Silvassa Municipal Council, Opp. Udhyog Bhavan, Secretariat Road, Amli, Silvassa. 396230